इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 342]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 2014—श्रावण 15, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-42-2014-1-पांच (31).—यत:, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि किसी ऐसे व्यापारी द्वारा, जिसके व्यवसाय का स्थान मध्यप्रदेश में हो, उसके द्वारा चार पहिया मोटर वाहन तथा चार से अधिक पिहये वाले मोटर वाहन के बारे में ऐसे किसी व्यवसाय स्थल में अंतरराज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य के अनुक्रम में 15 अगस्त 2014 से किए गए विक्रयों पर उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे विक्रय के टर्न ओवर पर देय कर के भुगतान की संगणना एक प्रतिशत की दर से, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) में अधिकथित की गई अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-42-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-42-2014-1-पांच (31), दिनांक 6 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 6th August 2014

No. F-A-3-42-2014-1-V(31).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, directs that the tax payable under the said Act by a dealer having his place of business in Madhya Pradesh, is respect of the sales by him of four wheeler motor vehicle and motor vehicle with more than four wheels from any such place of business in the course of inter-state trade or commerce from 15th August 2014 shall be calculated at the rate of one percent on his turnover of such sales, subject to the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4) of Section 8 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.